

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान

(हिंदी अनुभाग)

अंसारी नगर, नई दिल्ली-29.

फा.सं.7-1/2020-हि.अ.

दिनांक: 03.08.2021

विषय: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 29.06.2021 को हुई जनवरी-मार्च, 2021 एवं अप्रैल-जून, 2021 अवधियों की संयुक्त बैठक का कार्यवृत्त।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 29.06.2021 को सायं 03.00 बजे, डॉ. रामालिंगास्वामी सभागार में प्रो. रणदीप गुलेरिया, निदेशक एवं अध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति की अध्यक्षता में आयोजित हुई जनवरी-मार्च, 2021 एवं अप्रैल-जून, 2021 अवधियों की संयुक्त बैठक का कार्यवृत्त सूचना/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है।

संस्थान के सभी संबद्ध विभागों/अनुभागों/केंद्रों से अनुरोध है कि उक्त बैठक में लिए गए निर्णयों की अनुपालना सुनिश्चित की जाए और इस संबंध में की गई कार्रवाई की सूचना हिंदी अनुभाग को भी दी जाए।

यह कार्यवृत्त निदेशक महोदय के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

प्रेम सिंह
03-8-21

(प्रेम सिंह तोमर)

वरिष्ठ हिंदी अधिकारी एवं

सदस्य-सचिव

वितरण:

1. राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सभी सदस्यगण।
2. सभी विभाग/अनुभाग/केन्द्र।

प्रतिलिपि:

- निदेशक/संकायाध्यक्ष(शैक्षिक/अनुसंधान/परीक्षा)/चिकित्सा अधीक्षक महोदय के निजी सचिव।
- उप-निदेशक(प्रशासन)/वरिष्ठ वित्त सलाहकार एवं राजभाषा अधिकारी/उप-सचिव महोदय के निजी सचिव।
- निदेशक (राजभाषा), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली-11.
- उप-निदेशक (कार्यान्वयन), राजभाषा विभाग, त्रिकुट-II, तीसरी मंजिल, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-66.

✓ उप-निदेशक (कंप्यूटर सुविधा) - कृपया इसे एम्स की वेबसाइट पर अपलोड करवाने की कृपा करें।

अमिता अंकित सैनी
संजय गुप्ता
4/8

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की राजभाषा कार्यान्वयन समिति
की दिनांक 29.06.2021 को जनवरी-मार्च, 2021 एवं अप्रैल-जून, 2021
अवधियों की आयोजित हुई संयुक्त बैठक का कार्यवृत्त।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के डॉ. रामालिंगास्वामी सभागार में दिनांक 29.06.2021 को सायं 03.00 बजे संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की जनवरी-मार्च, 2021 एवं अप्रैल-जून, 2021 अवधियों की एक संयुक्त बैठक प्रो. रणदीप गुलेरिया, निदेशक, एम्स, नई दिल्ली एवं अध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति, महोदय की अध्यक्षता में आयोजित हुई। कोविड-19 संक्रमण के कारण शारीरिक दूरी के नियम का पालन करने के उद्देश्य से सीमित संख्या में ही राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्यगण तथा विशेष आमंत्रित अधिकारीगण को इस बैठक में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया गया था। इस बैठक में संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के निम्नलिखित सदस्यों/विशेष आमंत्रित अधिकारीगण ने भाग लिया:-

1.	प्रो. रणदीप गुलेरिया, निदेशक, एम्स, नई दिल्ली-29	अध्यक्ष
2.	डॉ. डी.के. शर्मा, चिकित्सा अधीक्षक	सदस्य
3.	श्री नीरज कुमार शर्मा, वरिष्ठ वित्त सलाहकार एवं राजभाषा अधिकारी	सदस्य
4.	श्री नरेन्द्र भाटिया, वित्त सलाहकार	सदस्य
5.	डॉ. शांतनु गांगुली, मुख्य पुस्तकालयाध्यक्ष, बी.बी.दीक्षित पुस्तकालय	सदस्य
6.	श्री कुमार पाल शर्मा, उप-निदेशक (कार्यान्वयन) उत्तरी क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय-। (दिल्ली), राजभाषा विभाग	सदस्य
7.	प्रशासन अधिकारी, डॉ. रा.प्र. केन्द्र के प्रतिनिधि:- श्री अनिल कुमार, कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी,	विशेष आमंत्रित
8.	श्री ललित उराव, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी जे.पी.एन.ए.ट्रॉमा केन्द्र	विशेष आमंत्रित
9.	श्री उत्तम चंद, प्रशासनिक अधिकारी, सामान्य अनुभाग	विशेष आमंत्रित
10.	प्रशासनिक अधिकारी, संकाय प्रकोष्ठ की प्रतिनिधि:- सुश्री ज्योति, कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी,	विशेष आमंत्रित
11.	श्रीमती अनिता टेटे, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, ई.एच.एस. प्रकोष्ठ	विशेष आमंत्रित

12.	श्री शिवानंद ठाकुर, लेखा अधिकारी एम.एस.यू.	विशेष आमंत्रित
13.	श्री उपेन्द्र कुमार, लेखा अधिकारी वर्क्स ऑडिट अनुभाग	विशेष आमंत्रित
14.	श्री प्रेम सिंह तोमर, वरिष्ठ हिंदी अधिकारी	सदस्य-सचिव

अन्य सदस्यों की ओर से बैठक में अनुपस्थित रहने संबंधी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई।

मद सं. 1 पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि संबंधी।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की पिछली बैठक के कार्यवृत्त की माननीय निदेशक एवं अध्यक्ष महोदय द्वारा यथावत पुष्टि की गई।

मद सं. 2 भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा वर्ष 2021-22 हेतु जारी वार्षिक कार्यक्रम संबंधी।

सदस्य-सचिव ने समिति को अवगत कराया कि राजभाषा विभाग द्वारा वर्ष 2021-22 हेतु जारी वार्षिक कार्यक्रम दिनांक 31.03.2021 को वरिष्ठ वित्त सलाहकार एवं राजभाषा अधिकारी महोदय की ओर से संस्थान के सभी विभागों/अनुभागों/केंद्रों में सूचना एवं उचित कार्रवाई हेतु परिचालित किया गया है। सदस्य-सचिव ने समिति को यह भी अवगत कराया कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली "क" क्षेत्र में आता है तथा भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा उपर्युक्त लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु पूरे भारत को 3 भागों में निम्नानुसार बांटा गया है:-

- "क" क्षेत्र में बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड राज्य तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र सम्मिलित हैं।
- "ख" क्षेत्र में गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब राज्य तथा चण्डीगढ़, दमन और दीव तथा दादरा व नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र सम्मिलित हैं।
- "ग" क्षेत्र में वे सभी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र सम्मिलित हैं जो "क" तथा "ख" क्षेत्र में शामिल नहीं किए गए हैं।

इस संदर्भ में विस्तृत विचार-विमर्श के उपरान्त समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु संस्थान के सभी संबंधित विभागों/अनुभागों/केंद्रों द्वारा भरपूर प्रयास किए जाएं:-

क्र.सं.	कार्य विवरण	निर्धारित लक्ष्य	अनुपालन का दायित्व
1	1. हिंदी में मूल पत्राचार (ई-मेल सहित) 2. "क" क्षेत्र से "क" क्षेत्र को 3. "क" क्षेत्र से "ख" क्षेत्र को 4. "क" क्षेत्र से "ग" क्षेत्र को 5. "क" क्षेत्र से "क" तथा "ख" क्षेत्र के राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/ व्यक्ति	100% 100% 65% 100%	संस्थान/ केन्द्रों के सभी प्रशासनिक/ लेखा/ भण्डार आदि अनुभाग।
2	हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना	100%	संस्थान/केन्द्रों के सभी प्रशासनिक/ लेखा/ भण्डार आदि अनुभाग।
3	हिंदी में टिप्पण	75%	संस्थान/केन्द्रों के सभी प्रशासनिक/ लेखा/भण्डार आदि अनुभाग।
4	हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम	70%	सीमेट, शैक्षिक अनुभाग
5	हिंदी टंकण करने वाले कर्मचारी एवं आशुलिपिक की भर्ती	80%	भर्ती प्रकोष्ठ
6	हिंदी में डिक्टेशन/की-बोर्ड पर सीधे टंकण (स्वयं तथा सहायक द्वारा)	65%	संस्थान के सभी संबद्ध अधिकारीगण/ संकाय-सदस्यगण
7	हिंदी प्रशिक्षण (भाषा, टंकण, आशुलिपि)	100%	हिंदी अनुभाग
8	द्विभाषी प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना	100%	शैक्षिक अनुभाग/सीमेट
9	जर्नल और मानक संदर्भ पुस्तकों को छोड़कर, पुस्तकालय के कुल अनुदान में से डिजिटल वस्तुओं अर्थात् हिंदी ई-पुस्तक, सीडी/डीवीडी, पेनड्राइव तथा अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में अनुवाद पर व्यय की गई राशि सहित हिंदी पुस्तकों आदि की खरीद पर किया गया व्यय	50%	बी.बी. दीक्षित पुस्तकालय
10	कंप्यूटर सहित सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की द्विभाषी रूप में खरीद	100%	भंडार अनुभाग/कंप्यूटर सुविधा/सभी विभाग/ केंद्र
11	द्विभाषी वेबसाइट	100% (द्विभाषी)	कंप्यूटर सुविधा
12	नागरिक चार्टर तथा जन-सूचना बोर्डों आदि का द्विभाषी प्रदर्शन	100% (द्विभाषी)	इंजीनियरी सेवा विभाग/सभी केंद्र

13	मंत्रालयों/विभागों और कार्यालयों द्वारा अपने मुख्यालय से बाहर स्थित कार्यालयों का निरीक्षण(कार्यालयों का प्रतिशत) मुख्यालय में स्थित अनुभागों का निरीक्षण	25% (न्यूनतम) 25% (न्यूनतम)	हिंदी अनुभाग
14	राजभाषा कार्यान्वयन समिति की राजभाषा संबंधी बैठकें	वर्ष में 04 बैठकें (प्रति तिमाही एक बैठक)	हिंदी अनुभाग
15	कोड, मैनुअल, फार्म, प्रक्रिया साहित्य का हिंदी अनुवाद	100%	सभी विभाग/ अनुभाग/ केंद्र
16	मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/बैंकों/उपक्रमों के ऐसे अनुभाग जहां सम्पूर्ण कार्य हिंदी में हो	40%	सभी विनिर्दिष्ट अनुभाग

अध्यक्ष महोदय ने समिति के उपर्युक्त निर्णयों को अपना अनुमोदन प्रदान करते हुए आदेश दिया कि राजभाषा विभाग द्वारा वर्ष 2021-22 हेतु जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु संस्थान के सभी विभागों/अनुभागों/केंद्रों द्वारा आवश्यक कदम उठाए जाएं।

कार्रवाई - अनुपालनकर्ता उपर्युक्त सभी विनिर्दिष्ट विभाग/अनुभाग/केन्द्र

मद सं. 3 संस्थान में हिंदी पदों का सृजन करने एवं कनिष्ठ/वरिष्ठ प्रशासनिक सहायकों/डाटा एंट्री ऑपरेटरों की तैनाती करने संबंधी।

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में निदेशक महोदय द्वारा पूछे जाने पर सदस्य-सचिव ने समिति को सूचित किया कि समिति की पिछली बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि हिंदी के वर्तमान पदों के अलावा भी हिंदी के और अपेक्षित पदों का सृजन किया जाए और भर्ती प्रकोष्ठ द्वारा हिंदी अनुभाग में 02 डाटा एंट्री ऑपरेटरों की शीघ्र नियुक्ति की जाए।

उपर्युक्त के संबंध में विस्तृत विचार-विमर्श के उपरांत समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि हिंदी अनुभाग में वर्तमान पदों के अलावा और अपेक्षित पदों के सृजन हेतु हिंदी अनुभाग द्वारा एक समेकित प्रस्ताव तैयार करके सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत किया जाए और भर्ती प्रकोष्ठ द्वारा हिंदी अनुभाग के लिए 02 डाटा एंट्री ऑपरेटरों की तैनाती शीघ्र की जाए। अध्यक्ष महोदय ने समिति के उक्त निर्णयों को अपना अनुमोदन प्रदान किया।

कार्रवाई - हिंदी अनुभाग/भर्ती प्रकोष्ठ

मद सं.4 तिमाही रिपोर्ट प्रेषितकर्ता केंद्रों/अनुभागों से प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करने संबंधी।

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सदस्य-सचिव ने समिति को अवगत कराया कि भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा संस्थान के लिए हिंदी में पत्राचार का लक्ष्य 100 प्रतिशत निर्धारित किया गया है, जबकि संस्थान में दिनांक 31 दिसम्बर, 2020 तथा 31 मार्च, 2021 को समाप्त तिमाहियों के अनुसार हिंदी पत्राचार क्रमशः 62.89% तथा 64.14% ही है।

समिति द्वारा तिमाही प्रगति रिपोर्ट की विस्तृत समीक्षा के उपरांत यह निर्णय लिया गया कि तिमाही रिपोर्ट समीक्षाधीन सभी 08 अनुभागों/केंद्रों सहित तिमाही रिपोर्ट प्रेषितकर्ता सभी अनुभागों/केंद्रों की तिमाही प्रगति रिपोर्ट में दर्शाए गए हिंदी में पत्राचार आदि संबंधी आंकड़ों में और वृद्धि की जाए। अध्यक्ष महोदय द्वारा संकाय प्रकोष्ठ एवं वर्क्स ऑडिट अनुभाग को इस संबंध में विशेष प्रयत्न करने के आदेश देते हुए समिति के इस निर्णय को अपना अनुमोदन प्रदान किया।

कार्रवाई - डॉ. रा.प्र. केन्द्र/जे.पी.एन.ए.टॉमा केन्द्र/सामान्य अनुभाग/बी.बी.दीक्षित पुस्तकालय/संकाय प्रकोष्ठ/ई.एच.एस. प्रकोष्ठ/वर्क्स ऑडिट अनुभाग/एम.एस.यू. एवं तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रेषितकर्ता अन्य सभी अनुभाग/केन्द्र

मद सं. 5 संस्थान में हिंदी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण प्रदान करने संबंधी।

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सदस्य-सचिव ने समिति को अवगत कराया कि भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा जारी दिशा-निदेशों के अनुपालन में संस्थान के नियमित कनिष्ठ प्रशासनिक सहायक/डाटा एंट्री ऑपरेटरों/आशुलिपिकों आदि को हिंदी टंकण/आशुलिपि के अनिवार्य प्रशिक्षण हेतु नामित किया जाता है। सदस्य-सचिव ने समिति को यह भी सूचित किया कि फरवरी, 2021 से प्रारंभ हुए हिंदी टंकण प्रशिक्षण सत्र में संस्थान के 07 कर्मचारीगण हिंदी टंकण का ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं तथा अगस्त, 2021 से प्रारंभ होने वाले हिंदी टंकण के ऑनलाइन प्रशिक्षण सत्र में संस्थान के कर्मचारीगण के नामांकन मंगवाने हेतु एक परिपत्र दिनांक 22.06.2021 को हिंदी अनुभाग की ओर से जारी किया गया है।

इस विषय में विस्तृत विचार-विमर्श के उपरांत समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि अगस्त, 2021 से प्रारंभ होने वाले हिंदी टंकण की ऑनलाइन प्रशिक्षण सत्र में भी संस्थान के कर्मचारियों का नियमानुसार नामांकन सुनिश्चित किया जाए। अध्यक्ष महोदय ने समिति के इस निर्णय को अपना अनुमोदन प्रदान किया।

कार्रवाई - हिंदी अनुभाग

मद सं. 6 संस्थान की वेबसाइट द्विभाषी होने संबंधी।

उपर्युक्त के संबंध में सदस्य-सचिव ने समिति को सूचित किया कि भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार संस्थान की वेबसाइट द्विभाषी रूप में होनी चाहिए।

इस विषय में विस्तृत विचार-विमर्श के उपरांत समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि संस्थान की वेबसाइट पर विभिन्न विभागों से संबंधित विषय-वस्तु को संबद्ध विभाग की बजाय कंप्यूटर सुविधा द्वारा ही स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा अनुमोदित अनुवाद एंजेंसियों के पैनल से हिंदी रूपांतर करवाकर द्विभाषी रूप में अपलोड करते हुए संस्थान की वेबसाइट को द्विभाषी रूप में अद्यतन रखा जाए। अध्यक्ष महोदय ने समिति के इस निर्णय को अपना अनुमोदन प्रदान किया।

कार्रवाई - उप-निदेशक (कंप्यूटर सुविधा)

मद सं. 7 हिंदी अनुभाग की फाइलें अनुमोदन आदि हेतु ई-फाइल द्वारा ही भेजे जाने संबंधी।

उपर्युक्त संदर्भ में वरिष्ठ वित्त सलाहकार एवं राजभाषा अधिकारी महोदय ने समिति को जानकारी दी कि सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जाने वाली हिंदी अनुभाग की फाइलें अब केवल ई-फाइल पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत जाने लगी हैं जिस पर संबद्ध प्राधिकारी अपनी टिप्पणी भी हिंदी में लिख सकते हैं। इस विषय में राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि श्री के.पी. शर्मा, उप-निदेशक (कार्यान्वयन) ने सलाह दी कि हिंदी की ई-फाइलों पर हिंदी में टिप्पणियां लिखने हेतु उच्च अधिकारीगण को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रोत्साहन योजना चलायी जा सकती है।

इस संदर्भ में विस्तृत विचार विमर्श के उपरांत समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि संस्थान में ई-फाइल सिस्टम के तहत हिंदी में टिप्पणी लिखने के लिए उच्च अधिकारीगण को प्रोत्साहित करने हेतु एक प्रोत्साहन योजना चलायी जाए। इस विषय में वरिष्ठ वित्त सलाहकार एवं राजभाषा अधिकारी महोदय के मार्गदर्शन में प्रोत्साहन योजना का मसौदा तैयार करके अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाए। अध्यक्ष महोदय ने समिति के उक्त निर्णय को अपना अनुमोदन प्रदान किया।

कार्रवाई: वरिष्ठ हिंदी अधिकारी

मद सं. 8 संस्थान में हिंदी पखवाड़े के आयोजन संबंधी।

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सदस्य-सचिव ने समिति को सूचित किया कि संस्थान में प्रतिवर्ष सितम्बर माह में हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया जाता है लेकिन कोविड-19 संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सितम्बर, 2021 में हिंदी पखवाड़े के आयोजन हेतु समिति का मार्गदर्शन अपेक्षित है। उक्त विषय पर विस्तृत विचार विमर्श पश्चात समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस विषय में वरिष्ठ वित्त सलाहकार एवं राजभाषा अधिकारी महोदय के साथ विचार-विमर्श करके हिंदी पखवाड़े के आयोजन की संभावित रूपरेखा प्रस्तुत की जाए। समिति के इस निर्णय को निदेशक महोदय ने अपना अनुमोदन प्रदान किया।

कार्रवाई - हिंदी अनुभाग

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद प्रस्ताव के पश्चात बैठक सम्पन्न हुई।